23 AUG 2024

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय

ब्लॉक सी–30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नया रायपुर (छ.ग.)

क्र. 24 / आ.उ.शि / क्रीड़ा / 2024 — नया रायपुर, दिनांक 23/08/2024

प्रति,

कुलसचिव,
समस्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
प्राचार्य,
समस्त शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय छत्तीगढ़।

विषयः– खेलकूद प्रतियोगिता में दैनिक भत्ता बढ़ोत्तरी के संबंध में।

–:आदेश:–

क्रमांक 24/23/08/24 आयुक्त, उच्च शिक्षा/2024 रायपुर, दिनांक ...../08/2024 सेक्टर स्तर/अंतर महाविद्यालयीन/अंतर विश्वविद्यालयीन खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को, महंगाई को ध्यान में रखते हुए दैनिक भत्ता रू. 150/– से वृद्धिकर रू. 300/– एवं राज्य स्तरीय पर रू. 200/– से वृद्धिकर रू. 400/– प्रति दिवस एव दल के साथ जाने वाले प्रबंधक या प्रशिक्षक (मैनेजर, कोच) एवं पर्यवेक्षक को दैनिक भत्ता रू. 300/– से वृद्धिकर रू. 500/– प्रति दिवस की दर से दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

23.8.2024

(डॉ. एच.पी. खैरवार)
अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक 24 B/आ.उ.शि./ 23/08/24 /2024 — रायपुर, दिनांक /08/2024

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक माननीय मंत्रीजी छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. मुख्य सचिव के उप सचिव, छ.ग. शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
4. आयुक्त, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
5. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
6. कुलसचिव, पं. र.शु.वि.वि. रायपुर, जिला– रायपुर (छ.ग.)
7. जिला कोषालय अधिकारी, रायपुर (छ.ग.)
8. आदेश फोल्डर।

23.8.2024

(डॉ. एच.पी. खैरवार)
अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर (छ.ग.)

आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय
क्रमांक 227
दिनांक
अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)
23 AUG 2024

दिनांक 21.08.2024 को वर्ष 2024–25 में क्रीड़ा गतिविधियों के संचालन एवं वार्षिक खेलकूद कैलेंडर बनाने हेतु आयोजित बैठक कार्यवाही विवरण।

दिनांक 21.08.2024 को उच्च शिक्षा विभाग के वार्षिक खेलकूद गतिविधियाँ एवं वार्षिक खेल कैलेण्डर 2024–25 बनाने हेतु उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त **श्री जनक प्रसाद पाठक (आई.ए.एस.) आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग** की अध्यक्षता में तथा **डॉ. सी.एल. देवांगन, अपर संचालक, रूसा कार्यालय, रायपुर** उच्च शिक्षा विभाग के विभिन्न विश्वविद्यालय के संचालक तथा विभिन्न परिक्षेत्रों (सेक्टरों), क्रीडाधिकारी/क्रीडा प्रभारियों की उपस्थिति में बैठक आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे।

1. डॉ. विपिनचंद्र शर्मा, क्रीडाधिकारी एवं खेल समन्वयक, उच्च शिक्षा संचालनालय।
2. डॉ. रीता वेणुगोपाल, संचालक, शारीरिक शिक्षा, पं.र.शु. विश्वविद्यालय, रायपुर।
3. डॉ. प्रमोद तिवारी, संचालक, शा.शि. अटल बिहारी वाजपेयी वि.वि. बिलासपुर।
4. डॉ. डी.के. नामदेव, संचालक, शा.शि. हेमचंद यादव वि.वि. दुर्ग।
5. डॉ. बी.एल. केंवट, संचालक, शा.शि. शहीद महेन्द्र कर्मा वि.वि. बस्तर।
6. डॉ. एन.के. सिंग, क्रीड़ाधिकारी, शास. पी.जी. महाविद्यालय, जगदलपुर।
7. डॉ. सुनील गौराहा, क्रीडाधिकारी, शास. विज्ञान महाविद्यालय, बिलासपुर।
8. डॉ. अजय सिंह, क्रीड़ाधिकारी, शास. महाविद्यालय, संकरी।
9. श्री तापस चटर्जी, क्रीड़ाधिकारी, शास. कला एवं वाणिज्य महा. रायगढ़।
10. डॉ. बी.एस. राव, क्रीड़ाधिकारी, शास. ई.वी.पी.जी. महा. कोरबा।
11. श्री अरूण चौधरी, क्रीड़ाधिकारी, शास. दिग्विजय महा. राजनांदगांव।
12. श्री लक्ष्मेन्द्र कुलदीप, क्रीड़ाधिकारी, शास.व्ही.वाय.टी.पी.जी महा. दुर्ग।
13. श्री भुनेश्वर राय, क्रीड़ा प्रभारी, शास. पी.जी. महाविद्यालय, बलौदाबाजार।
14. श्री रूपेन्द्र सिंग चौहान, क्रीडाधिकारी, शास. जे.वाय. छत्तीसगढ़ महा. रायपुर।
15. श्री बृजेशकांत बर्मन, क्रीडा प्रभारी, शास.टी.सी.एल. महा. जांजगीर।
16. डॉ. शौरभ प्रधान, क्रीडा अधिकारी/सहा. संचालक, शहीद नंद कुमार पटेल वि.वि. रायगढ़।
17. श्री दिलीप कुमार लहरे, क्रीडाधिकारी, शास. एम.वी.पी.जी. महाविद्यालय, महासमुंद।
    आयुक्त महोदय के अनुमति से आमंत्रित सदस्य
18. डॉ. बसंत अंचल, क्रीडा अधिकारी, शास. महाविद्यालय, तखतपुर, 19. महेन्द्र रजक, क्रीडाधिकारी, शास. गर्ल्स कॉलेज, कांकेर, 20. मोरध्वज सोनवानी, क्रीडाधिकारी, शास. पी.जी. महा. अंबागढ चौकी,

सर्वप्रथम बैठक के एजेण्डा में सत्र 2023–24 के गत वर्ष के अनुमोदित निर्णय को खेल समन्वयक ने पालन प्रतिवेदन पढ़कर अध्यक्ष महोदया को अवगत कराया। तत्पश्चात् इस सत्र 2024–25 के एजेण्डा के बिन्दुओं पर चर्चा की गई तथा निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

<table>
<tr><th>क्र.</th><th>प्रस्तुत प्रस्ताव</th><th>निर्णय</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 16 खेलों में भाग लेने वाले 2224 खिलाड़ियों को प्रति खिलाड़ी गणवेश रू. 500/– की दर से 11,12,000/–(ग्यारह लाख बारह हजार रूपये) की राशि स्वीकृत हेतु प्रस्ताव है।</td><td>राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 16 खेलों में भाग लेने वाले 2224 खिलाड़ियों को प्रति खिलाड़ी गणवेश रू. 500/–की दर से रू. 11,12,000/– (ग्यारह लाख बारह हजार रूपये) की राशि स्वीकृत की गई।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>सेक्टर एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रदाय करने वाले प्रमाण–पत्र सत्र 2024–25 की छपाई हेतु लगभग रू. 40,000/–(चालीस हजार रूपये) एवं सत्र 2023–24 में प्रमाण–पत्र की छपाई का भुगतान अपरिहार्य कारणों से नहीं हो पाया। अतः राशि 38,810/–(अड़तीस हजार आठ सौ दस रूपये) भुगतान हेतु प्रस्तावित।</td><td>सेक्टर एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रदाय करने वाले प्रमाण–पत्र सत्र 2023–24 की छपाई हेतु लगभग रू. 40,000/–(चालीस हजार रूपये) की स्वीकृत की गई। सत्र 2023–24 में प्रमाण–पत्र की छपाई की राशि 38,810/– भुगतान हेतु स्वीकृत की गई। इस प्रकार कुल राशि 78,810/–(अठत्तर हजार आठ सौ दस रूपये) की राशि स्वीकृत की गई।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता के आयोजन स्थल का निर्धारण करना एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में विजेता एवं उपविजेता टीमों को ट्रॉफी प्रदान हेतु रू. 80,000/–(अस्सी हजार रूपये) की राशि स्वीकृति बाबत।</td><td>राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता के आयोजन स्थल का निर्धारण करना एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में विजेता एवं उपविजेता टीमों को ट्रॉफी प्रदान हेतु रू. 80,000/–(अस्सी हजार रूपये) की राशि स्वीकृति प्रदान की गई।</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>भारतीय विश्वविद्यालय खेल संघ (ए.आई.यू.) द्वारा घोषित कैलेंडर के अनुसार राज्य का खेल कैलेंडर का अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।</td><td>भारतीय विश्वविद्यालय खेल संघ (ए.आई.यू.) द्वारा घोषित कैलेंडर के अनुसार राज्य का खेल कैलेंडर का अनुमोदन किया गया।</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>सेक्टर स्तरीय प्रतियोगिता में सब्सिडी राशि को दोगुनी करते हुए रू. 3,04,000/–(तीन लाख चार हजार रूपये) संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा प्रदाय करने हेतु अनुमति हेतु प्रस्तावित है। जो निम्नानुसार है:–
<table>
<tr><th>क्र.</th><th>खेल का नाम</th><th colspan="2">स्वीकृत देय सब्सिडी राशि</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>पुरूष</td><td>महिला</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>क्रिकेट</td><td>40,000</td><td>——</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>एथलेटिक्स</td><td>24,000</td><td>24,000</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>फुटबाल</td><td>16,000</td><td>——</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>बैडमिंटन</td><td>16,000</td><td>16,000</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>टेबल टेनिस</td><td>12,000</td><td>12,000</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>व्हालीबाल</td><td>12,000</td><td>12,000</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>कबड्डी</td><td>12,000</td><td>12,000</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>खो–खो</td><td>12,000</td><td>12,000</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>शतरंज</td><td>12,000</td><td>12,000</td></tr>
<tr><td>10</td><td>बास्केटबाल</td><td>12,000</td><td>12,000</td></tr>
<tr><td>11</td><td>हैण्डबॉल</td><td>12,000</td><td>12,000</td></tr>
<tr><td colspan="2">योग</td><td>180,000</td><td>124,000</td></tr>
<tr><td colspan="2">कुल राशि</td><td colspan="2">3,04,000/–</td></tr>
</table></td><td>सेक्टर स्तरीय प्रतियोगिता में सब्सिडी राशि को दोगुनी करते हुए रू. 3,04,000/–(तीन लाख चार हजार रूपये) संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा प्रदाय करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। जो निम्नानुसार है:–
<table>
<tr><th>क्र.</th><th>खेल का नाम</th><th colspan="2">स्वीकृत देय सब्सिडी राशि</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>पुरूष</td><td>महिला</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>क्रिकेट</td><td>40,000</td><td>——</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>एथलेटिक्स</td><td>24,000</td><td>24,000</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>फुटबाल</td><td>16,000</td><td>——</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>बैडमिंटन</td><td>16,000</td><td>16,000</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>टेबल टेनिस</td><td>12,000</td><td>12,000</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>व्हालीबाल</td><td>12,000</td><td>12,000</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>कबड्डी</td><td>12,000</td><td>12,000</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>खो–खो</td><td>12,000</td><td>12,000</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>शतरंज</td><td>12,000</td><td>12,000</td></tr>
<tr><td>10</td><td>बास्केटबाल</td><td>12,000</td><td>12,000</td></tr>
<tr><td>11</td><td>हैण्डबॉल</td><td>12,000</td><td>12,000</td></tr>
<tr><td colspan="2">योग</td><td>180,000</td><td>124,000</td></tr>
<tr><td colspan="2">कुल राशि</td><td colspan="2">3,04,000/–</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

कुल राशिः—तीन लाख चार हजार रूपये मात्र

टीपः— 1. बैडमिंटन (म./पु.) प्रतियोगिता में सटल कॉक का खर्च प्रतियोगिता आयोजक महाविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा।

2. सेक्टर स्तरीय प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय एवं शासन द्वारा प्राप्त सबसिडी राशि के अतिरिक्त खर्च को संबंधित आयोजक महाविद्यालय/संस्था द्वारा वहन किया जावेगा।

6. राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के आयोजन व्यय के लिए 4,36,000/—(चार लाख छत्तीस हजार रूपये) की स्वीकृति प्रस्तावित हैः— (राशि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रदाय की जायेगी) अनुमोदन किया गया जो निम्नानुसार हैः—

क्र.	खेल का नाम	स्वीकृत देय सब्सिडी राशि	
		पुरूष	महिला
1.	क्रिकेट	60,000	—
2.	एथलेटिक्स	40,000	40,000
3.	फुटबाल	24,000	—
4.	बैडमिंटन	16,000	16,000
5.	टेबल टेनिस	12,000	12,000
6.	व्हालीबाल	24,000	24,000
7.	कबड्डी	16,000	16,000
8.	खो—खो	16,000	16,000
9.	शतरंज	12,000	12,000
10	बास्केटबाल	16,000	16,000
11	हैण्डबॉल	24,000	24,000
	योग	2,60,000	1,76,000
	कुल राशि	4,36,000/—	

राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के आयोजन व्यय के लिए 4,36,000/—(चार लाख छत्तीस हजार रूपये)की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः— (राशि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रदाय की जायेगी) अनुमोदन किया गया जो निम्नानुसार हैः—

क्र.	खेल का नाम	स्वीकृत देय सब्सिडी राशि	
		पुरूष	महिला
1.	क्रिकेट	60,000	—
2.	एंथलेटिक्स	40,000	40,000
3.	फुटबाल	24,000	—
4.	बैडमिंटन	16,000	16,000
5.	टेबल टेनिस	12,000	12,000
6.	व्हालीबाल	24,000	24,000
7.	कबड्डी	16,000	16,000
8.	खो—खो	16,000	16,000
9.	शतरंज	12,000	12,000
10	बास्केटबाल	16,000	16,000
11	हैण्डबॉल	24,000	24,000
	योग	2,60,000	1,76,000
	कुल राशि	4,36,000/—	

टीपः— राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय एवं शासन द्वारा प्राप्त सबसिडी राशि के अतिरिक्त खर्च को संबंधित आयोजक महाविद्यालय/संस्था द्वारा वहन किया जावेगा।

7. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णयः—

(a) **विगत 15 वर्षो से शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छात्रों से शारीरिक शिक्षा शुल्क 150/— रूपये लिया जा रहा है। जिसमें वृद्धि कर 250/— रूपये किया जाये। जिसमें 150/— रूपये महाविद्यालय में तथा 100/— रूपये विश्वविद्यालय में खेल एवं खेल के विकास के लिये लिया जाये पर विचार किये जाने हेतु प्रस्तुत।**

निर्णयः—उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त, महोदय द्वारा निर्देशित किया गया, कि सत्र 2025—26 से शारीरिक शिक्षा शुल्क रू. 300/—(तीन सौ रूपये मात्र) छात्रों से लिया जाये। जिसमें रू. 200/—(दो सौ रूपये मात्र) महाविद्यालय में खेल एवं खेल के विकास के लिये एवं रू. 100/—(एक सौ रूपये मात्र) की राशि संबंधित विश्वविद्यालय में खेल एवं खेल के विकास के लिये आवंटित किया जाये।

(b) नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शारीरिक शिक्षा विषय को मध्यप्रदेश की भांति यहां के महाविद्यालयों में सम्मिलित किया जाये एवं इसे महाविद्यालय के क्रीडाधिकारी द्वारा पढ़ाये जाने पर विचार किया जाये।

निर्णयः– उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त, महोदय द्वारा यथाशीघ्र लागू किये जाने पर सहमति व्यक्त किया गया।

(c) खिलाड़ियों के लिये प्रतियोगिता के दौरान दिये जाने वाले डी.ए. सेक्टर स्तर/अंतर महाविद्यालयीन स्तर/अंतर विश्वविद्यालयीन स्तर पर रू. 200/– तथा राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिये रू. 300/– किया जाये साथ ही मैनेजर, कोच एवं पर्यवेक्षक को क्रमशः 300/– एवं रू. 400/– दिये जाने पर विचार किया जाये।

निर्णयः–आयुक्त महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि सत्र 2024–25 से ही खिलाड़ियों को प्रतियोगिता के दौरान दिये जाने वाले डी.ए. (दैनिक भत्ता) सेक्टर स्तर/अंतर महाविद्यालयीन स्तर/अंतर विश्वविद्यालयीन स्तर पर राशि रू. 300/–(तीन सौ रूपये मात्र) प्रति दिवस एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्र/छात्राओं को डी.ए. (दैनिक भत्ता) राशि रू. 400/–(चार सौ रूपये मात्र) दिए जाने हेतु आदेशित किया गया एवं टीम मैनेजर, कोच एवं पर्यवेक्षक को सभी स्तरों (सेक्टर, इंटर कॉलेज/राज्य स्तरीय) में डी.ए. (दैनिक भत्ता) रू. 500/–(पांच सौ रूपये मात्र) दिये जाने हेतु आदेशित किया गया।

(d) बस्तर संभाग के अंतर्गत सेक्टर को दो सेक्टर में बांटा जाए, उत्तर बस्तर (कांकेर, नारायणपुर, कोण्डागांव) एवं दक्षिण बस्तर (बस्तर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा)। खिलाड़ियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार किया जावे।

निर्णयः– आयुक्त महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि सत्र 2025–26 से बस्तर संभाग के अंतर्गत सेक्टर को दो सेक्टर में बांटा जाए, उत्तर बस्तर (कांकेर, नारायणपुर, कोण्डागांव) एवं दक्षिण बस्तर (बस्तर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा)। खिलाड़ियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसे लागू जायेगा।

(e) सेक्टर एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के आयोजक महाविद्यालय द्वारा खेल प्रतियोगिता को गरिमापूर्ण आयोजन करने, टीम मैनेजर, कोच एवं खिलाड़ियों को उचित व्यवस्था प्रदान करने तथा प्रतियोगिता के निर्णय में पारदर्शिता हो किसी प्रकार का विवाद न हो पर उचित निर्णय लिया जावे साथ ही चयनकर्ता द्वारा खिलाड़ियों के चयन में कोई विवाद न हो। ताकि प्रतियोगिता सुचारू रूप से संचालित हो सके। चिन्हित महाविद्यालय आयोजक महाविद्यालय के आयोजन गतिविधियों पर नजर रखें। किसी प्रकार का विवाद की स्थिति आने पर खेल समन्वयक को यथा शीघ्र सूचित करें।

निर्णयः–आयुक्त महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि विभिन्न स्तर पर आयोजित होने वाले खेलों के आयोजन में पारदर्शिता हो एवं किसी प्रकार का विवाद न हो तथा संबंधित खेल के मैदान एवं खिलाड़ियों एवं टीम मैनेजर, कोच की ठहरने की उचित व्यवस्था प्रदान करें। किसी प्रकार की कठिनाई न हो। यदि किसी प्रकार की विवाद की स्थिति निर्मित होती है तो खेल समन्वयक को यथाशीर्घ सूचित करें ताकि आवश्यक निर्णय लिया जा सकें।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

अपर संचालक,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
रायपुर (छ.ग.)